

**बिहार सरकार**  
**नगर विकास एवं आवास विभाग**  
**अधिसूचना**

सं०सं०-01/स्था० (विविध)-34/2022 (पार्ट)-3564/न०वि०एवंआ०वि०, पटना, दिनांक-24.03.26

श्री अतीश रंजन, (बि०न०से०), नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, हिसुआ को बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-41 के अंतर्गत अपने कार्यों के अतिरिक्त नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, रजौली का प्रभार दिया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-

(राजीव रंजन तिवारी)

सरकार के उप सचिव।


ज्ञापांक-01/स्था० (विविध)-34/2022 (पार्ट) 3564 /न०वि०आ०वि०, पटना/दिनांक-24.03.26

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, नवादा/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- माननीय उप मुख्य (नगर विकास एवं आवास) मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, रजौली/श्री अतीश रंजन, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, हिसुआ/श्री पंकज कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के उप सचिव।